न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5397-दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–08-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 151/अपील/2010-11.

पूर्णेन्द्र पिता स्व0 रघुवंश पटेल
निवासी- साकिन बुडवा, तह0 रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0

...............आवेदक

बनाम

राजधर पटेल तनय स्व0 रघुवंश पटेल
निवासी- साकिन बुडवा, तह0 रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0

..................अनावेदेक

श्री जी.पी. पटेल अधिवक्ता, आवेदक
श्री इन्द्रजीत प्रसाद, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 22–08-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चु. जिला रीवा के रा.प्र.क्रमांक 139/अ-27/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 12-06-09 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायुपर कर्चु. जिला रीवा के यहा अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 21-04-2010 को आदेश पारित कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया।

इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 151/अपील/2020-11 को दर्ज कर दिनांक 22-08-2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सहखातेदार होकर 1/2, 1/2 हिस्से के हकदार है। परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक को अधिक हिस्सा बटवारा में प्रदान किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया। इसी कारण अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त किया क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को उसके हक से ज्याद हिस्सा प्रदान किया था। अपर आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने एवं परीक्षण उपरांत अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जहां तक हक का प्रश्न है उभय पक्ष अपना हक का निराकरण व्यवहार न्यायालय से भी कराने के लिए स्वतंत्र हैं।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 22-08-2016 स्थिर रखा जाता है।

06/02/19.

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर